थारु भाषा

सूचना मागकर्ताके लाग
सहयोगी पुस्तिका

राष्ट्रिय सूचना आयोग

सूचना मागकर्ताका लागि
सहयोगी पुस्तिका

राष्ट्रिय सूचना आयोग

पोस्टाके नाउँ: सूचना मागकर्ताके लाग सहयोगी पुस्तिका
सम्पादन: रत्नप्रसाद मैनाली, सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
प्रकाशक: राष्ट्रिय सूचना आयोग
अनुवाद, डिजाइन, लेआउट: पब्लिक अफेयर्स रिसर्च एण्ड कम्युनिकेसन्स (PARC) / कृष्णराज सर्वहारी
सर्वाधिकार: राष्ट्रिय सूचना आयोगमे सुरक्षित
पहिला संस्करण: २०८१

राष्ट्रिय सूचना आयोग
सूचना आयोग भवन, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
फोन: ०१-४५९६५४४, फ्याक्स: ०१-४५९६५४५
वेबसाइट: nic.gov.np,
इमेल: info@nic.gov.np
ISBN Number: 9789937970235

राष्ट्रिय सूचना आयोग ओ युएसएआईडी नेपालके सहकार्यमे प्रकाशित। यी प्रकाशन भिट्टरके विषयवस्तु ओ सामग्री राष्ट्रिय सूचना आयोगके एकल जिम्मेवारी हो ओ यी अमेरिकी सरकार, युएसएआईडी वा द एशिया फाउण्डेशनके विचार प्रतिविम्बित करठ कना जरूरी नैहो।

USAID
अमेरिकी जनताबाट

CIVIL SOCIETY & MEDIA
STAND

The Asia Foundation

आयोगके कहाइ

सूचना मंग्ना ओ पैना नागरिकके अधिकारहे नेपालके संविधानमे मौलिक हकके रुपमे स्वीकार कैगैल बा। संविधानके धारा २७ मे व्यवस्था कैगैल सूचनाके हकहे सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मार्फत् आउर व्यवस्थित कैगैल बा। सूचनाके हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी हुइल बा ओ सूचनाके हकके कार्यान्वयनके लग नियामक निकायके रुपमे वि.सं. २०६५ सालमे राष्ट्रिय सूचना आयोगके गठन हुके आयोग संविधान ओ कानुन निर्देशित कैलबमोजिम अपन दायित्व निर्वाह कैटि आइल बा।

आयोगके मुख्य जिम्मेवारी सूचना मंग्ना ओ पैना नागरिकके अधिकार सुनिश्चितता कैना हो। सार्वजनिक निकायमे रलक व्यक्तिगत ओ सार्वजनिक सरोकारके विषयमे नागरिक मंग्लक सूचना उ निकायके सूचना अधिकारी ओ कार्यालय प्रमुख उपलब्ध नैकैलक अवस्थामे आयोगमे पुनरावेदन करे पैना कानुनी व्यवस्था सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मे बा। ओइसिक पाइल पुनरावेदनउपर उपयुक्त आदेश डेके संविधानप्रदत्त सूचना मंग्ना ओ पैना नागरिकके अधिकार सुनिश्चित कैना आयोगके प्राथमिक दायित्व हो।

कानुन पुनरावेदनउपर सुनुवाइके सँगे सूचनाके हकसम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक कामके जिम्मेवारी फेन आयोगहे डेगैल बा। संविधान ओ कानुनमे व्यवस्थामे कैगैल डेढ दशक विट्ले पर फेन सूचनाके हक जैसिन महत्वपूर्ण अधिकारबारे आमनागरिकमे पर्याप्त जानकारी नैहो। यकर बारेम आयोग मेरमेरिक प्रवर्द्धनात्मक काम कैटि अइलेसे फेन नागरिक तहसम जौन हिसावमे पुगाइक पर्ना हो, उहे ढङ्गले पुगाइ नैसेक्लक टिट वास्तविकता हो। मने, आयोग यम्ने सेकटसम प्रयास कैटि आइल बा। इहि नागरिक तहसम पुगाइक टन राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक निकाय ओ सरोकारवाला संस्थाके प्रतिबद्धता आउर ढेर आवश्यक परठ।

नेपालके संविधानके धारा ७ के उपधारा १ मे देवनागरी लिपिमे लिखजैना नेपाली भाषा नेपालके सरकारी कामकाजके भाषा हुइना कहिगैल बा। ओस्टक, उपधारा २ मे नेपाली भाषाके अतिरिक्त प्रदेश अपन प्रदेशभित्तर बहुसङ्ख्यक जनता बोल्ना एक वा एकसे ढेर आउर राष्ट्रभाषाहे प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशके सरकारी कामकाजके भाषा निर्धारण करे सेकि कहिगैल बा। सूचनाके हक सम्बन्धी ऐन २०६४ के दफा ४ के उपदफा ३ मे सार्वजनिक निकाय उपदफा २ के खण्ड (क) बमोजिमके सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण कैके मेरमेरिक राष्ट्रिय भाषामे आमसञ्चारके माध्ययमसे करे सेक्जैना कले बा। नेपालके संविधान ओ कानूनमे कैगैलक उ व्यवस्थाहे मध्यनजनर कैटि सूचनाके हकके कानूनी प्रावधान ओ प्रचलनबारे थारू भाषी नागरिकहे फेन जानकारी पुगे कना उद्देश्यले आयोग यी सहयोगी पुस्तिका थारू भाषामे प्रकाशन कर्ले बा। सरकार राष्ट्रिय भाषाहे कार्यालय सञ्चालनके लाग नैटोक्लक अवस्थामे सूचना मागेबेर, उजुरी करेबेर, पुनरावेदन करेबेर नेपाली भाषा जो बेल्सक् आयोग सक्हुन अर्जि करटा।

सार्वजनिक निकायहे सुशासनयुक्त, पारदर्शी ओ उत्तरदायी बनाइक टन नागरिक जागरुकता अनिवार्य रहठ। सूचना मंग्लेसे पा जाइठ कना संवैधानिक ओ कानुनी व्यवस्थाबारे आमनागरिकहे जानकारी नैडेहटसम यी सम्भव नैहुइ। इहे सन्दर्भमे सूचनाके हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे नागरिकहे जानकारी डेना कहिके यी हाते पोस्टा तयार पारगैलक हो। यी पोस्टा तयार कैना आयोग द एसिया फाउण्डेशन ओ नेशनल डेमोक्रेटिक इस्टिच्युट, नेपालसे महत्वपूर्ण सहयोग मिलल् बा। यी संस्था प्रति आभार व्यक्त कैटि आयोग धन्यवाद डेहटा।

पुस्तिका प्रकाशन कर्ना क्रममे हुइसेक्ना कमी, कमजोरी ओ गल्ती सच्याइक लग यहाँलोगनके सुझाव वा जानकारी मिलि कलेसे अइना संस्करणमे सच्यइना आयोग सहर्ष तत्पर रहलक जानकारी कराइटी।

बैशाख २०८१   राष्ट्रिय सूचना आयोग

विषय प्रवेश

नेपालके संविधानके धारा २७ मे प्रत्येक नागरिकहे अपन वा सार्वजनिक सरोकारके कौनो फेन विषयके सूचना मंग्ना ओ पैना हक हुइ कना व्यवस्था बा। यी नागरिकके मौलिक हक हो।

अइसिक सूचना मंग्ना ओ पैना हकभिट्टर सूचना प्रवाहके हक फेन परठ। इहि प्रचलित कानून, अभ्यास ओ विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रहसमेत पुष्टि कैले बा। ओहेसे, आमनेपाली नागरिकमे सूचना मंग्ना, पैना ओ प्रवाह कैना हक स्थापित हुइलक ओरसे अनुसन्धानकर्ता, सञ्चारकर्मी लगायत सूचना आवश्यक पर्ना नागरिक सक्रिय हुइ परठ।

कानूनी व्यवस्था

नेपालके संविधानके धारा २७ व्यवस्था कैलक मौलिक हकके प्रचलनके लग संविधानके धारा ४६ मे संवैधानिक उपचारके हकके व्यवस्था बा। यी अनुसार सूचना पैना कौनो फेन नागरिक रिटके माध्यमसे अदालत जाइ सेक्ठा।

सूचनाके हकसम्बन्धी ऐनके दफा ११ मे नागरिकके सूचनाके हकके संरक्षण, सम्बर्द्धन ओ प्रचलन कराइक टन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रना कानूनी व्यवस्था बा। कानून व्यवस्था कैल बमोजिम आयोग २०६५ सालमे स्थापना हुइलक हो।

आयोगकके मुख्य जिम्मेवारी जो नागरिकहे सूचना डेह्वइना हो। कौनो फेन सार्वजनिक निकायमे रलक व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारके विषयके सूचना पाइक चहना नागरिकहे सूचना नैडेना सम्बन्धित निकायके पदाधिकारीविरुद्ध आयोगमे पुनरावेदन डेहेपरठ। अइसिक पुनरावेदन प्राप्त हुइ टे कानूनी प्रक्रिया पूरा कैके आयोग नागरिकके सूचना मंग्ना ओ पैना हकके प्रत्याभूति करठ।

सूचनाके हकके कानूनी प्रत्याभूति

सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ नागरिकके सूचना मंग्ना ओ पैना हकके सम्बन्धमे कुछ अपवादबाहेकके सूचना पैना प्रत्याभूतिके लाग निम्न २ ठो कानूनी प्रावधानके व्यवस्था कैगैल बा:

- सूचनाके हकसम्बन्धी ऐनके दफा ३ के उपदफा (२) मे प्रत्येक नेपाली नागरिकहे सार्वजनिक निकायमे रलक सूचनामे पहुँच हुइ कहिगैल बा।
- ऐनके दफा ४ के उपदफा (१) मे प्रत्येक सार्वजनिक निकाय नागरिकके सूचनाके हकके सम्मान ओ संरक्षण कैना/ कराइ पर्ना कना कानूनी व्यवस्था कैगैल बा।

कानूनमे रहल इहे व्यवस्थाबमोजिम -

- राष्ट्रिय सूचना आयोगके आदेश ओ अदालतके फैसला पाछे आमविद्यार्थीन्के अपन उत्तरपुस्तिका हेरे पैना मान्यता स्थापित हुइल बा। सूचना मागेबेर उत्तरपुस्तिका फेन हेरे मिलठ का ?

कहिके छक्क परलमे हाल अइसिन व्यवस्था उत्तरपुस्तिका परीक्षण कैनाहे थप जिम्मेवार बनैना मद्दत कैले बा ।

- आउर कैयौं पुनरावेदनमे आयोग सरकारी निकाय, संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय ओ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, निजी क्षेत्रके बैंक ओ वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था ओ उपभोक्ता समितिके नाउँमे सूचना डेहो कना आदेश जारी कैले बा । आयोगके आदेशपाछे नागरिक मंग्लक सूचना फेन पाके यी सक्कु निकाय सूचनाके हकके दायराभिट्टर रहल प्रष्ट सन्देश प्रवाह हुइल बा । ओहेसे, यी निकायमे रलक व्यक्तिगत ओ सार्वजनिक सरोकारके विषयके सूचना मागे ओ पाइ सेक्जाइठ ।

सूचनाके हकके विश्व इतिहास

सन् १७६६ मे पहिला चो स्वीडेनमे सूचनाके हकसम्बन्धी कानून जारी हुइल । ओकर पाछे सन् १९५१ मे फिनल्याण्ड, सन् १९६६ मे संयुक्त राज्य अमेरिकामे ओ सन् १९७० मे डेनमार्क ओ नर्वेमे यी कानून जारी हुइल । हाल विश्वके करिब १ सय ३६ से ढेउर देशमे यी कानून जारी हुइल बा ।

सूचनाके हकके दक्षिण एसियाके विकासक्रम

सन् २००२ मे पाकिस्तानके पञ्जाब ओ केपी प्रदेशमे सूचनाके हकसम्बन्धी कानून जारी हुइल। तत्पश्चात सन् २००५ मे भारतमे, सन् २००७ मे नेपालमे, सन् २००९ मे बंगलादेशमे, सन् २०१४ मे अफगानिस्तान ओ माल्दिभ्समे ओ सन् २०१६ मे श्रीलङ्कामे यी कानून जारी हुइल। श्रीलङ्कामे सूचना डेना अटेर कैना पदाधिकारीहे दुई बरससम कारावासके सजाय हुइना कानूनी व्यवस्था बा।

राष्ट्रिय सूचना आयोगके गठन

नेपालके अन्तरिम संविधानके धारा २७ मे हुइलक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम २०६४ सालमे सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन ओ २०६५ सालमे नियमावली जारी हुइल बा। इहे ऐनके प्रावधानबमोजिम २०६५ सालमे राष्ट्रिय सूचना आयोगके गठन हुइलक हो।

सूचना मग्ना ओ तत्काले पैना

प्रत्येक नागरिक सम्बन्धित कार्यालयके सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग कैके निवेदन डेहेपरठ। अइसिक सूचना माग कैलपाछे सूचना अधिकारी तुरुन्त सूचना उपलब्ध कराइपर्ना कानूनी व्यवस्था बा।

सामान्यत: अइसिन सूचना लिखित रुपमे मागे परठ। ओस्टक, सूचना मागेबेर अपनहे कौन विषयमे का सूचना चहलक हो ओ ओकर प्रयोजन का हो कनामे सूचना मागकर्ता एकीन हुइक परठ।

अइसिन हुइलेसे सूचना अधिकारीहे तुरुन्त सूचना डेना सजिल हुइठ। अक्के निवेदनमे ढेउर विषय ओ बुँदा उल्लेख कैके सूचना माग करेबेर अपनहे फेन प्रयोजन खुलैना कर्रा परठ कलेसे सूचना डेहुइयाहे फेन असुविधा हुइ सेकठ। उहेसे, सूचना मागकर्ता का विषयमे सूचना माग करक चहटि बटा कना विषयमे स्पष्ट हुइपरठ।

हुलाकके माध्यमसे ओ फ्याक्स, इमेललगायतके विद्युतीय माध्यमसे फेन सूचना मंग्ना ओ पाइ सेक्जाइठ मने सम्भव हुइट सम सूचना अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुके निवेदन डेलेसे मजा हुइठ। सूचना मांग्के मिलजाइ कना विश्वासके साथ सार्वजनिक निकायमे सूचना मागेबेर जानेपरठ। काकरेकि, सूचना मंग्ना ओ पैना प्रत्येक नेपाली नागरिकके संवैधानिक मौलिक हक हो।

अइसिक चहा जौने माध्ययमसे सूचना मंग्लेसे फेन सूचना मागकर्ता नेपाली नागरिक हुइलक कौनो प्रमाण (जस्टे-नेपाली नागरिकताके प्रतिलिपि वा अस्टे आउर) संलग्न करेपरठ। काकरेकि, हमार संविधान सार्वजनिक निकायमे रलक सूचना मंग्ना अधिकार नेपाली नागरिकहे किल डेले बा।

लिखित रुपमे सूचना मंग्ना ओ टोक्लक समयमे सूचना पैना

प्रत्येक नागरिक सूचना मागेबेर लिखित निवेदन दर्ता कराइ परठ। अइसिक दर्ता कैलक निवेदनके निस्सा लेहे परठ। ओस्टक, सूचना

अधिकारीके सम्पर्क नम्बर फेन लेहे परठ। सूचना मागके निवेदन डेके सूचना अधिकारीहे कौन दिन सूचना मिलि कहिके पुछे परठ। सूचनाके हकसम्बन्धी कानूनमे सूचना माग हुइठ टे तत्काल उपलब्ध कराइ पर्ना व्यवस्था कैगैल बा। मने, माग हुइलक सूचना सङ्कलन कर्ना हो कलेसे सूचना अधिकारी बढीमे १५ दिन भिट्टर मागकर्ताहे सूचना उपलब्ध कराइ परठ।

मने, जीउ ज्यानके सुरक्षासँगे सम्बन्धित सूचना भर २४ घन्टाभिट्टर उपलब्ध कराइ पर्ना कानूनी व्यवस्था बा। यकर लग निवेदनमे फेन उह व्यहोरा लिखके सूचना अधिकारीहे जनाइ परठ। अइसिक सूचना अधिकारीसँगे सूचना मंग्लक बोधार्थ उहे कार्यालयके प्रमुख ओ राष्ट्रिय सूचना आयोगहे डेहे पर्ना कानूनी व्यवस्था नैहो। मने ईच्छुक नागरिक अइसिन बोधार्थ निवेदनसे अपने सूचना मंग्लक व्यहोरा भविष्यमे उजुरी वा पुनरावेदन करेपर्ना निकायहे सजग कराइक लग डेहे सेक्जाइठ।

सूचना अधिकारी सूचना नैडेलेसे उजुरी कैना

सामान्यत: आपन मंग्लक सूचना, सूचना अधिकारी १५ दिनभिट्टर नैडेलेसे उहे कार्यालयके प्रमुखसमक्ष उजुरी करे परठ। अइसिन उजुरी लिखित रूपमे हुलाक, फ्याक्स वा इमेलमार्फत् फेन पठाइ सेक्जाइठ। अपनेहे उपस्थित होके लिखित उजुरी कैलक अवस्थामे उजुरी दर्ता कैलक निस्सा लेहे परठ।

अइसिक उजुरी करेबेर डुइठो बाटके माग दावी करे परठ । पहिला- सूचना नैडेना सूचना अधिकारीहे कारवाही करे पाउँ। डुसरा, मै मंग्लक सूचना पाउँ । अइसिन उजुरी सूचना अधिकारी सूचना डेना इन्कार कैलक पत्र डेलक वा आंशिक सूचना डेलक वा सूचना नैडेके १५ दिन गुजरलक मितिसे सात दिन भिट्टर करे परठ । सामान्यत: अइसिक उजुरी परलेसे सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सात दिन भिट्टर सूचना डेहे पर्ना कानूनी व्यवस्था बा ।

आयोगमे पुनरावेदन करेबेर सूचना मंग्लक सूचना अधिकारीसमक्ष डेलक निवेदन, कार्यालय प्रमुखसमक्ष कैगैल उजुरी ओ नेपाली नागरिक हुइलक पुष्टि हुइना प्रमाण फेन संलग्न करे परठ ।

सार्वजनिक चासोके विषयमे सूचना मंग्लेसे सूचना पाइ फेन सेक्जाइठ ओ कतिपय अवस्थामे नैपाइ फेन सेक्जाइठ । अइसिक सूचना मंग्लेसे सार्वजनिक निकायके पदाधिकारीहे गलत काम कैना रोके सेक्जाइठ । काकरेकि, कौनो विषयमे निर्णय करेबेर सार्वजनिक निकायके पदाधिकारी काल्ह नागरिक यी विषयमे सूचनाके हकके प्रयोग कैके सूचना माग कैला कलेसे यी विषयके सूचना डेहे परठ कना सोच्ना बाध्य हुइठाँ ।

कार्यालय प्रमुख फेन सूचना नैडेलेसे पुनरावेदन कैना

सूचना मंग्ना नागरिक कबो फेन हार नैमन्ना चाहि । ओहेसे, सूचना अधिकारी ओ कार्यालय प्रमुख डुनुजने सूचना नैडेलेसे राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन करे परठ । अइसिन पुनरावेदन कैलेसे पहिले, सूचना अधिकारी १५ दिन भिट्टरमे सूचना नैडेलक अथवा उहिसे हलि गलत वा आंशिक सूचना डेलक अथवा सूचना डेहे नैसेक्ना कहिके कौनो लिखित डेलक अवस्था हुइ परठ । डुसरा, कार्यालय प्रमुखसँगे कैगैल उजुरीमे फेन निज सूचना डेहेपर्ना ७ दिनके म्याद गुजरलक वा सूचना डेना इन्कार कैके पत्र डेलक मितिसे ३५ दिन भिट्टर राष्ट्रिय सूचना आयोगमे टोकल ढाँचामे पुनरावेदन करे परठ ।

अइसिक आयोगमे पुनरावेदन करेबेर कौनो दस्तुर नैलागठ । पुनरावेदनमे हुलाक टिकट फेन नैचप्क्वाइ परठ ।

अट्ना मेहनट कैलेसे का कैसिन सूचना मिलठ ? कहिके जिज्ञासा हुइ सेकठ । उदाहरणके लग राष्ट्रिय सूचना आयोगके आदेशपाछे लगानी बोर्ड ओ जिएमआरबीच हुइलक अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाके पीडीए सम्झौता, नेपाल ओ भारत सरकारबीचके पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाके विधान ओ नेपाल ओ चीनबीच सम्पन्न चिनियाँ चिलगाडी खरिद ओ अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्र समेत सूचना मागकर्ता पैले बटाँ । यम्हेसे द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौताके दस्तावेजमे नागरिकके पहुँच कायम हुइल बा ।

ओस्टक, नलसिङगाड जलविद्युत आयोजनाके परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्र लगायतके कागजात फेन आयोगके पहलमे सूचना मागकर्ता नागरिक पैले बटाँ। यम्हेसे दातृ निकायके सूचनामे फेन नागरिकके हक स्थापित हुइल बा। यी सक्कु दृष्टान्तसे सूचनाके हकके तागत प्रष्ट हुइठ।

पुनरावेदन उपर कैसिक कारवाही हुइठ ?
राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन करेबेर अपने सूचना अधिकारीसँगे सूचना मंग्लक ओ कार्यालय प्रमुखसँगे उजुरी कैलक प्रमाण साथमे पेश करे परठ। अइसिक आयोगसमक्ष परलक पुनरावेदनमे आयोग समय सीमा टोकके नि:शुल्क सूचना उपलब्ध करैना कना समेतके आदेश जारी करे सेकठ। आयोग अधिकतम् ६० दिन भिट्टर यकर बारेम निर्णय सुनाइठ। ओस्टक, आयोग पुनरावेदन निरर्थक ठन्लेसे खारेज फेन कैडेहे सेकठ।

आयोग अपनसमक्ष परलक पुनरावेदनके कारवाही ओ किनारा करक टन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायके प्रमुख वा सूचना अधिकारीसँगे बयान लेहे सेकठ वा कौनो लिखत पेश करे लगाइ सेकठ। उ सम्बन्धमे साक्षी प्रमाण बुझ्के फेन सेकठ। आयोगमे पक्ष, विपक्ष, निजके प्रतिनिधि वा सम्बन्धित कानून व्यवसायीहे उपस्थित कराइ सेकठ। यकर लग आयोगमे रलक इजलासमे बहस-पैरवी हुइ सेकठ। अइसिक, आयोग अदालती प्रक्रिया अनुसार अपन फैसला सुनाइठ।

सूचना डेना अटेरी कैनाहे सजाय

राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन कैलेसे आयोग आवश्यक प्रक्रिया पूरा कैके सूचना डेहे कना आदेश करठ। अइसिक आयोगसे जारी हुइलक आदेशहे अटेर कैके सूचना नैडेना पदाधिकारीहे आयोग एक हजारसे २५ हजार रुप्यासम जरिवाना करे सेकठ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीके हकके आयोग विभागीय कारवाहीके लगसमेत लिखके पठाइ सेकठ। नागरिक मंग्लक सूचना समयमे नैडेके ढिला कैके सूचना डेना पदाधिकारीहे आयोग प्रतिदिन दुई सयके दरले जरिवाना करे सेकठ।

ओस्टक यदि केउ आयोगकके आदेशके पालना नैकैलैसे डोसुर दश हजारसम जरिवाना करे सेकठ।

अइसिक, सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन नागरिकके सूचनाके हकके संरक्षण, सम्बर्द्धन ओ प्रचलन करे करैना गठित आयोगहे दण्ड कैनासमके कानूनी अधिकार डेगैल बा। नागरिक मंग्लक सूचना डेहो कना आयोगके आदेशहे अटेर कैना सार्वजनिक निकायके करिब चार दर्जन पदाधिकारी आयोगसे दण्डित हुइल बटाँ। अइसिन सजाय पैनामे विद्यार्थीके उत्तर पुस्तिका डेना अटेर कैना, इस्कुलसे सम्बन्धित सूचना डेना आनाकानी कैना, विश्वविद्यालयके परीक्षासँगे सम्बन्धित परीक्षार्थीके सूचना नैडना, सार्वजनिक निर्माणके सूचना डेहे नैमन्ना, नागरिक मंग्लक सूचना

नैडेना निजी क्षेत्रसे सञ्चालित बैंक ओ वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, उपभोक्ता समिति, स्थानीय तहके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत बटाँ।

सूचना नपैलक कारनसे हानी-नोक्सानी हुइलेसे क्षतिपूर्ति पैना व्यवस्था

नागरिक मंग्लक सूचना नैपैलक कारण अपनहे हानी-नोक्सानी पुगल बा कलेसे ओकर विवरण ओ प्रमाणसहित राष्ट्रिय सूचना आयोगमे क्षतिपूर्तिके लाग निवेदन डेहे सेक्जाइ। आयोग अइसिन निवेदन पाके पुग्लक हानी-नोक्सानी विचार कैके मनासिब माफिकके क्षतिपूर्ति भराइ कहे सेकठ। यम्हे आयोग डेह्वाइ सेक्ना क्षतिके सीमा नैटोकल हो।

ओहेसे, नागरिक अपनहे पुग्लक क्षतिके अधिकतम् दावी करे सेक्ना बिल्गाइठ। मने, नागरिक यी सम्बन्धी समुचित प्रमाण संलग्न कैके वा उचित आधार खुलाके मनासिब माफिकके क्षतिपूर्तिके लग मागदावी सहितके निवेदन डेहे परठ।

मने, अइसिन क्षतिपूर्तिके दावीके लाग सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख टोक्लक सात दिन भिट्ट्टरमे सूचना उपलव्ध नैकैलेसे वा सूचना डेना इन्कार कैल पत्र जारी कैलक वा आंशिक वा गलत सूचना डेलक मितिले तीन महिना भिट्ट्टर अइसिन क्षतिपूर्ति माग दावीके निवेदन डेहे सेके परठ।

सूचना मागेबेर दस्तुर लागठ ?

नागरिक सूचना माग कैके सूचना अधिकारीहे निवेदन डेलेसे, कार्यालय प्रमुखहे उजुरी कैलेसे ओ राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन करबेर निवेदनके साथ हुलाक टिकट नैचपक्वाइ परठ ओ कौनो प्रकारके दस्तुर फेन नैटिरे परठ। मने सार्वजनिक निकायसे सूचना पैलेसे दस्तुर टिरे पर्ना कानूनी व्यवस्था बा। जेकर व्यवस्था निम्नानुसार बा :

- सूचना मागके निवेदन नि:शुल्क दर्ता कैके निस्सा डेहे/लेहे परठ।
- निवेदनमे हुलाक टिकट नैचपक्वाइ परठ ओ निवेदन बापत कौनो शुल्क फेन नैबुझ्भाइ परठ।
- पहिला १० पृष्ठके सूचना नि:शुल्क मिलठ।
- ओकर पाछे A4 साइज के प्रतिपृष्ठ रु. ५/-, A3 साइज के १०/-, डिस्केट वा सिडीमे सूचना लेहेबेर प्रतिसिडी वा डिस्केटबापत रु. ५०/- ओ सूचनाके अध्ययन/अवलोकनके पहिला आधा घन्टा नि:शुल्क, ओकर पाछे प्रतिव्यक्ति एक घण्टाके रु. ५०/-दस्तुर टिरे परठ।
- यी बाहेक आउर दस्तुरके हकमे लागल खर्चअनुरूप दस्तुर टिरे परठ कना कानूनी व्यवस्था बा। यी विषयमे नागरिक फेन सजग हुइ परठ, कयौं सूचना मागकर्ता नागरिक कानूनमे रलक अइसिन प्रावधान बुझ्भके नि:शुल्क सूचना हासिल कैले बा।

कुछ सूचना पाइक टन बाध्य नैकरे सेकजाइठ

संविधानके धारा २७ सूचनाके हकके व्यवस्था कैलक ओ उ अनुरुप सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन जारी हुइलक ओ संविधानके धारा २८ गोपनीयताके हकके व्यवस्था कैलक ओ गोपनीयताके हकसम्बन्धी कानून जारी हुइलक विषयमे भर आमनागरिक हेक्का ढारे परठ। सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमे सूचनाके हक ओ गोपनीयताके हकहे सन्तुलित ढङ्गसे उपयोग करे परठ। प्रस्तुत सन्दर्भमे सूचनाके हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ मे पाँच मेरिक सूचना प्रवाहमे सार्वजनिक निकाय बाध्य हुइ नैपर्ना व्यवस्था बा।

मने, आमनागरिक अपनहे आवश्यक परलक सूचना मागे परठ। नागरिक मंग्लक सूचना कानूनबमोजिम डेहे मिल्ने हो कि नाइ कना हेर्ना जिम्मा सार्वजनिक निकायके पदाधिकारीके हो कलेसे यकरबारे निर्णय कैना निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोग हो। यदि नागरिक मंग्लक सूचना कानूनबमोजिम डेहे नैमिल्ना हो कलेसे उ सूचना कानूनबमोजिम कट्रा समयसमके लाग संरक्षण कैना मेरिक वर्गीकरण कैगैल बा कहिके जानकारी डेना दायित्व सार्वजनिक निकायके हो।

ओहेसे, आमनागरिक पहिले- आपनसँगे सम्बधित व्यक्तिगत सरोकारके विषयके सूचना मागे परठ। डुसरा- सार्वजनिक सरोकारके विषयमे

सूचना मांग्के सार्वजनिक निकायहे गलत काम नैकैना खबरदारी कैटि रहे परठ। वर्गीकरण कैगैल सूचना फेन पाइ पर्ना माग दावीसहित नागरिक आयोगमे पुनरावेदन कैलेसे आयोग सूचना डेहो कहिके आदेश करे सेक्ना व्यवस्था बा।

सूचनाके वर्गीकरण कलक का हो ?

- नेपाल सरकार सूचनाके हकसम्बन्धी ऐनके दफा ३ के उपदफा (३) के प्रकरण (क) से (ङ) सम उल्लेख कैगैल विषयके सूचना समावेश कैके ओइसिन मेरिक सूचना अधिकतम् ३० बरससम संरक्षण कैके ढारे सेक्ना कानूनी प्रावधान बा। इहिहे जो सूचनाके वर्गीकरण कहिजाइठ।
- अइसिन, सूचनाके वर्गीकरणके व्यवस्था सूचनाके हकसम्बन्धी ऐनके दफा २७ मे उल्लेख कैगैल बा।
- वर्गीकरण समिति हालसम टिनचो सूचनाके वर्गीकरण कैलेसे फेन कार्यान्वयन हुइ नैसेकल हो। ओहेसे, हाल सूचनाके वर्गीकरण नैहुइलक अवस्था बा।

व्यक्तिगत सरोकारके सूचना कैसिन मेरिक हो ?

आमनागरिक नितान्त अपनसँगे किल सम्बन्धित सरोकारके विषयमे फेन सूचना मागे ओ पाइ सेक्ना संवैधानिक ओ कानूनी व्यवस्था बा।

आब प्रश्न उठे सेकठ, व्यक्तिगत सरोकारके सूचना कलक कैसिन हो ?

नितान्त अपनसँगे किल सम्बन्धित सूचनाहे हमार संविधान ओ कानुन व्यक्तिगत मेरिक सूचना कहिके परिभाषित कैले बा। उदाहरणके लग केक्रो शैक्षिक योग्यताके प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, अपन नाउँमे रलक जग्गा, जमिन, घर, सोन, चाँदी, जुहारत, बैंक खातामे वा घरेम रलक नगद, स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्ट, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अथवा कौनो सार्वजनिक निकायमे रलक अस्टेहे मेरिक तथ्य, तथ्याङ्कसम्बन्धी जानकारी वा विवरणहे व्यक्तिगत सरोकारके विषयके सूचना मानजाइठ। अइसिन विषयसे सम्बन्धित विवरण, जानकारी वा सूचना सम्बन्धित व्यक्ति वा निजके अनुमतिबेगर आउर जाने पाइ सेक्ना प्रावधान कानूनमे नैहो। अइसिन सूचना असम्बन्धित व्यक्ति चहा जे मंग्लेसे फेन सम्बन्धित व्यक्ति वा निजके अनुमतिबेगर सार्वजनिक निकाय प्रवाह करे नैमिलठ। मने, अपनसँगे सम्बन्धित विषयमे भर अइसिन सूचना अपनेहे माग करे ओ पाइ सेक्ठा।

सार्वजनिक सरोकारके सूचना कैसिन मेरिक हो ?

सार्वजनिक निकायमे रलक सक्कुजहनके सरोकारके विषय बारेके तथ्य, तथ्याङ्क, जानकारी वा विवरण सार्वजनिक सरोकारके सूचना हो। अइसिन विषयमे सक्कु नेपाली नागरिक चासो ढैके सूचना मागे ओ पाइ सेक्ठा। जस्टे राष्ट्रपति कार्यालयसे वडा कार्यालयसम डगर,

पुलपुलेसा, ढल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खाद्य सुरक्षा, संसद, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, टिनु तहके सरकार ओ मातहतके निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सक्कु राष्ट्रिय ओ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्था, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सस्था, बैंक, वित्तीय संस्थालगायतमे रलक तमाम विषयके सम्बन्धमे कौनो फेन सार्वजनिक निकायमे जे फे नेपाली नागरिक सूचना मागे ओ पाइ सेक्ठा।

सचेत नागरिकके कर्तव्य

आमनागरिकहे नेपालके संविधान ओ कानून सूचना मग्ना ओ पैना हक डेले बा। यी हक विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमे फेन उल्लेख कैगैल बा, जेकर नेपाल फेन पक्ष राष्ट्र हो।

ओहेसे, व्यक्तिगत सरोकार ओ सार्वजनिक चासोके चहा जौन विषयसे सम्बन्धित सूचना मंग्ना ओ पैना हकके ढेरसे ढेर उपयोग कैना प्रत्येक सचेत नागरिकके कर्तव्य हो। ओस्टक, सूचना मागेबेर निम्न विषयमे ख्याल पुगाइ पर्ना फेन जिम्मेवार नागरिकके कर्तव्य हो :

- सूचना मागेबेर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमे स्वयम् उपस्थित होके, हुलाक, फ्याक्स वा ईमेलमार्फत् लिखित निवेदन दर्ता कैना, ओकर निस्सा लेना ओ अइसिन निवेदनमे संविधान ओ कानूनमे उल्लेखित अपन अधिकारके विषय उल्लेख करे परठ।

- मने, निरक्षर वा शारीरिक रुपले लिखे नैसेक्ना नागरिक मौखिक रुपमे फेन सूचना माग करे सेक्ठा ।
- अइसिन सूचना मागके निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमे अपनेहे उपस्थित होके, वारेससे, हुलाक वा कुरियरसे, फ्याक्स, ईमेल लगायतके उपलब्ध माध्यमसे पठाइ सेक्जाइठ, मने अपन निवेदन सूचना अधिकारी पैलक प्रमाण सुरक्षित करे परठ ।
- सूचना मंग्नाके उचित प्रयोजन खुलाइ परठ । यकर लाग अपनहे आवश्यक परलक सरोकारके विषय, सार्वजनिक चासोके जानकारी, भ्रष्टाचार ओ अनियमितता नियन्त्रण कैना लगायतके विषयमे सूचना मागे परठ । निवेदनमे अपने कौन विषयमे का सूचना मंग्लक हो, उ संलग्न हुइ परठ ।
- सार्वजनिक निकायसे नागरिकहे प्राप्त सूचनाके दुरुपयोग नैकैना चाहि । कानूनमे सूचनाके दुरुपयोग कैनाहे पाँच हजारसे पच्चीस हजारसम जरिवाना हुइना व्यवस्था बा ।
- चहा जौन निकायमे फेन पहिला सूचना अधिकारीहे सम्बोधन कैके सूचना मागे परठ । सूचना अधिकारी नैटोक्लक अवस्था बा कलेसे फेन सूचना अधिकारीहे जो सम्बोधन कैके सूचना मागके निवेदन दर्ता कराइ परठ । हुलाक, फ्याक्स वा ईमेलसे सूचना माग हुइलमे सूचना अधिकारीहे जो सम्बोधन कैके निवेदन पठाइ परठ । निवेदनमे सूचना अधिकारी ओ कार्यालय प्रमुख कहिके फेन सम्बोधन करे सेक्जाइठ ।

- सूचना मागेबेर मागकर्ता नेपाली नागरिक हुइलक प्रमाणित हुइना कौनो कागजात संगसंगे पेश करे परठ।
- सूचनाके प्रतिलिपि मंग्ना वा सूचना अध्ययन/अवलोकन कैना विषयमे एकीन हुइ परठ।
- अपने मंग्लक विषयके सूचना डोसुर कार्यालयमे बा कहिके सूचना अधिकारी किटानी कैके पत्र डेलेसे सूचना अधिकारी किटानी कैडेलक कार्यालयमे उहे प्रक्रिया पूरा कैके सूचना मागे परठ।
- सूचना हासिल करकटन कानून बमोजिमके दस्तुर बुझाइक टन सहमत हुइ परठ।
- सूचना अधिकारी सूचना नैडेलक, आंशिक वा आधा वा गलत सूचना डेलक वा कौनो जानकारी नैडेलक १५ दिन भिट्टर उहे कार्यालयके प्रमुखसमक्ष उजुरी करे परठ।
- कार्यालय प्रमुख फेन सूचना नैडेलेसे पैंतीस दिन भिट्टर राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन डेहे परठ।
- सम्भव हुइलेसे, सूचना वर्गीकरण कैके संरक्षण कैलक सूचना कट्रा बरस समके लाग संरक्षण कैगैल बा कना बुझके सूचना मागे परठ।
- सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा २८ अनुसार व्यक्तिगत प्रकृतिके सूचना उ कार्यालय संरक्षण कैके ढैना हुइलक ओरसे

ओइसिन प्रकृतिके सूचना मंग्ना पूर्व सूचना मागके प्रयोजनमे एकीन हुइ परठ ।

- सूचना नैडेना पदाधिकारीविरुद्ध दण्डके लग राष्ट्रिय सूचना आयोगमे प्रमाणसहित उजुरी करे परठ ।
- मने, असल नियतसे कैलक काममे सजाय नैहुइलक ओरसे सक्कु जाने विवेक पुगाइ परठ ।
- ऐनके दफा ३० बमोजिम कानूनी व्यक्ति फेन दफा ७ (१) ओ ९ (१) बमोजिम प्रक्रिया पूरा कैके सूचना मंग्ना, पैना ओ पाइ नैसेक्लेसे दफा १० (१) बमोजिम आयोगमे पुनरावेदन कैके सूचना पाइ सेक्जाइठ ।
- कौनो सार्वजनिक निकायमे गलत सूचना अभिलेखबद्ध हुइलक जानकारी हुइलेसे उ सूचना सच्याके ढारक टन निवेदन डेहे परठ ।
- आमनागरिक अपन वा सार्वजनिक सरोकारके विषयके सूचना मागके गलत क्रियाकलाप रोक्ना ओ सामाजिक रुपान्तरणके लग काम करे परठ ।
- मने, किहुहे दु:ख डेना नियतले सूचना नै मंग्ना चाहि । यी विषय कानूनमे नैलिख्लेसे फेन यी विषयमे आमनागरिक स्वयम् जिम्मेवार हुइ परठ ।

- सूचनाके हकहे विश्वभर जो पारदर्शिताके लग अचुक औजार मानजाइठ । अ, सोहेसे सूचना मागकर्ता फेन अपन कामके पारदर्शितासहित सदाचारिता प्रकट कैना नागरिकके कर्तव्य हो कना विषयहे नैबिस्रैना चाहि ।
- सूचना डेना, लेना संस्कृतिके विकास करि । लोकतन्त्रके आधार : सूचनाके अधिकारहे सक्कुजाने मन, वचन ओ कर्मले कार्यान्वयन करि ।

सूचना मंग्ना निवेदनके ढाँचा

(कानूनमे निवेदनके ढाँचा नैटोकल हो। ओहेसे यी ढाँचा खालि सजिलके लाग किल हो)

श्री सूचना अधिकारीज्यू,

............................। (सार्वजनिक निकायके नाउँ ओ ठेगाना)

विषय : सूचना उपलब्ध कराइ पाउँ।

उपर्युक्त विषयमे मै/हमरे यी कार्यालयमे रलक मोर/हमार सार्वजनिक सरोकारके तपसिल बमोजिमके सूचना......... प्रयोजनके लग आवश्यक परलक ओरसे नेपालके संविधानके धारा २७ ओ सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ७ के उपदफा (१) बमोजिम यी निवेदन पेश कैले बटुँ/बटि।

तपसिल

१..

२..

संलग्न कागजात

नेपाली नागरिक हुइलक प्रमाण झल्कना कागजके प्रतिलिपि दिन

निवेदक

नाउँ :

ठेगाना :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत् ....साल...............महिना...........गते रोज.......शुभम्।

कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेश कैना उजुरीके ढाँचा

(कानूनमे उजुरीके ढाँचा नैटोकल हो, ओहेसे यी ढाँचा खाली सजिलके लग किल हो)
श्री कार्यालय प्रमुखज्यू,
......................। (कार्यालयके नाउँ, ठेगाना)

विषय : सूचना उपलब्ध नैकैलक/सूचना डेना अस्वीकार कैलक/आंशिक रुपमे सूचना उपलब्ध कैलक/गलत सूचना डेलक ओरसे सूचना अधिकारीहे कारवाही कैके सूचना उपलब्ध कराइ पाउँ।

उपर्युक्त विषयमे मै/हमरे यी कार्यालयके सूचना अधिकारीहे सम्बोधन कैके मिति ....मे मोर/हमार सार्वजनिक सरोकारके तपसिल उल्लेखित सूचना मंगलकमे सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ७ के उपदफा (२) मे उल्लेखित अवधि भिट्टर सूचना उपलब्ध नैकैलक/सूचना डेना अस्वीकार कैलक/आंशिक रुपमे सूचना उपलब्ध कैलक/गलत सूचना डेलक ओरसे सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ९ के उपदफा (१) बमोजिम यी उजुरी पेश कैले बटुँ/बटि।
ओहेसे सूचना उपलव्ध नैकैना/सूचना डेना अस्वीकार कैना/आंशिक सूचना उपलब्ध कैना ओ गलत सूचना डेना सूचना अधिकारीहे दफा ९ के उपदफा (३) बमोजिम कारवाही कैके उपदफा (२) बमोजिम सूचना उपलब्ध कराइ पाउँ।

तपसिल
१...
२...

उजुरीकर्ता :
नाउँ :
ठेगाना :
फोन नं.:
ईमेल :
ईति सम्बत् ....साल...............महिना...........गते रोज.......शुभम्।

श्री राष्ट्रिय सूचना आयोगमे डेजैना पुनरावेदनके ढाँचा

मार्फत्.......... कार्यालय

............................।

.... उजुरीकर्ता

विरुद्ध

.... विपक्षी

विषय : माग बमोजिमके सूचना उपलब्ध कराइ पाउँ।

............................निकायके प्रमुख श्री .... मिति...........मे मै/हमरिहिन ....विषयके सूचना डेहे नैमिल्ना निर्णय कैलकमे देहायके कारण ओ आधारसे मै ओ हमरिहिन उ निर्णयमे चित्त नैबुझ्लक ओरसे ऐनके म्याद पैंतीस दिन भिट्टर दफा १० (१) बमोजिम यी पुनरावेदन करटुँ/करटि।

(क) ....

(ख) .... उपर

लिखगैल व्यहोरा ठीक फुरेसे हो, झुठ्ठा ठहरलेसे कानूनबमोजिम सहम बुझैम।

संलग्न कागजात

(क) सार्वजनिक निकायके प्रमुख कैलक निर्णयके प्रतिलिपि

(ख) सूचना अधिकारीसमक्ष पेश कैलक निवेदनके प्रतिलिपि

(ग) नेपाली नागरिक हुइलक प्रमाण झल्कना कागजके प्रतिलिपि

पुनरावेदकके दस्तखत :

नाउँ :

ठेगाना :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत् ....साल...............महिना...........गते रोज.......शुभम्।

/rtinepal

/suchanaayog

9789937970235